समक्ष—माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर .

निगरानी-4698/2018/खण्डवा/भू.रा.

राजस्व पुनरीक्षण क्रं. :—

प्रस्तुत दिनांक :— /07/2018

1 संतोष उम्र लगभग 50 साल पिता .श्री लक्ष्मण पाटीदार
निवासी—ग्राम सिरसौद तहसील खण्डवा जिला—खण्डवा म.प्र.
हाल निवासी—मिश्रा पेट्रोल पम्प के पास,मूंदी रोड़, खण्डवा

.....पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक

विरूध्द

1 संतोष पिता श्री नंदलाल पाटीदार

2 अतुल पिता श्री राजेन्द्र पाटीदार

3 सतीश पिता श्री नत्थू पाटीदार

तीनों निवासी— ग्राम सिरसौद तिरोनी के पास तहसील खण्डवा जिला—खण्डवा

...प्रतिप्रार्थीगण/आवेदकगण

राजस्व पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक निम्नलिखित निवेदन करता है :—

यह कि पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी खण्डवा (पीठासीन श्री संजीव केशव पाण्डेय) व्दारा रा.अ.क्रं. 57/अपील/सन 2016—17 ग्राम सिरसौद तहसील खण्डवा में पारित रिमाण्ड आदेश दिनांक 28/05/2018 से दुखी पीड़ित एवं असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यों, आधारों एवं अन्य आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते है । इस आदेश व्दारा पुनरीक्षणकर्ता /अनावेदक की प्रथम अपील को स्वीकार किया गया है परन्तु अवैधानिक रूप से मूल प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि वे प्रकरण में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य लेकर धारा 131 म.प्र.भू.रा.सं. के प्रावधानों के तहत गुणदोषों के आधार पर आदेश पारित करें ।

मूल प्रकरण एवं अपील के संक्षिप्त तथ्य

1 यह कि आवेदकगण ने दिनांक 02/07/2016 को आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131 म.प्र.भू.रा.सं.प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सिरसौद स्थित

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/4698/2018/खण्डवा/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	